आदेश की कमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 1	आदेश पर की गई कार्यवाही
04/07/23	**जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।** **अधिहरण वाद संख्या– 11 / 2023–24** राज्य सरकार –बनाम– कंचन देवी **–: आदेश :–** प्रस्तुत वाद पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज के पत्रांक 1407 / अप0शा0, दिनांक 26.04.2023 के द्वारा बरहेट थाना कांड संख्या 27 / 2023, दिनांक 15.03.2023, धारा–175 / 379 / 414 भा0द0वि0 एवं 21(ए) / 21(6) खान एवं खनिज (विकास विनियम) अधिनियम 1957 तथा 4 / 54 JMM Act 2004 के अन्तर्गत जप्त मिनी ट्रक संख्या JH18C-1514 को लोड बालू सहित राजसात करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर वाद प्रारम्भ करते हुए वाहन मालिक को नोटिस निर्गत कर कारणपृच्छा का माँग किया गया। मामला संक्षिप्त में यह है कि कांड के वादी अंचल अधिकारी, बरहेट के द्वारा दिनांक 15.03.2023 को थाना प्रभारी, बरहेट एवं सशस्त्र बल के साथ अवैध उत्खनन एवं परिवहन का औचक छापामारी किया गया। बरहेट थाना अन्तर्गत ग्राम गोपलाडीह के पास टाटा 407 मिनी ट्रक संख्या JH18C-1514 को जाँच हेतु पुलिस बल के सहायता से रोका गया। जाँच करने पा पता चला कि वाहन में बालू लोड है। वाहन चालक से लोड बालू से संबंधित परिवहन चालान का माँग किया गया, परन्तु उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। इसी क्रम में वाहन चालक ट्रक को छोड़ कर भाग गये। अंचल अधिकारी, बरहेट के द्वारा घटना स्थल पर उपस्थित साक्षी मो0 इम्तियाज, उपनिरीक्षक एवं अन्य के समक्ष विधिवत जपती सूची बनाते हुए जप्त किया गया एवं सुरक्षार्थ थाना प्रभारी, बरहेट को सुपूर्द किया गया। उसके उपरांत अंचल अधिकारी, मंडरो के द्वारा घटना की सूचना जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज को दिया गया। जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज के द्वारा थाना प्रभारी, बरहेट को संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेशित किया गया जिसके आधार पर कांड अंकित कर लिया गया। विपक्षी कंचन देवी, पति–पप्पु मंडल, सा0–लोहण्डा, थाना–बोरियो (जि0), जिला–साहेबगंज कारणपृच्छा के साथ उपस्थित। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि कंचन देवी वाहन संख्या JH18C-1514 को बिक्री कर चुकी है, परन्तु Registration Transfer नहीं किए है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि कंचन देवी को उक्त वाहन से कोई लेना–देना नहीं है।	

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही

अतएव अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि बरहेट थाना कांड संख्या 27/2023, दिनांक 15.03.2023 में जप्त मिनी ट्रक संख्या संख्या JH18C-1514 के माध्यम से अवैध उत्खनन एवं परिवहन कार्य किय जा रहा था, जिसे राजसात करना उचित प्रतीत होता है।

Before the National Green Tribunal Principal Bench, New delhi के Original Application No. 23/2017 (EZ), Order dated 15.03.2023 के कंडिका–19 के अनुसार "we note from the above compliance status, presented to the Tribunal, that 112 units do not have height lower than the height of wind breaking walls nor they have constructed road for transportation to control dust pollution, as noted at Sr. No. V and VI. They are reported to be merely using water sprinklers to control dust in the course of transportation, adequacy of which is not been verified nor source of availability of water for water sprinklers ascertained. Level of dust pollution is not ascertained. As shown at Sr. No. X, green belt has not been developed except by 131 units. Sr. No. XV shows that 471 vehicles were found not complying with the directions of covering the transported material for which no action was taken against the units but the vehicles were required to pay fine of Rs. 12.88 Lakhs. Only one stone unit has installed PTZ camera and no action has been taken against the violators. Only 35 units have PM_{10} Analyser (Sr. No. XX). Pollution Control Devices have not been installed for which notices have been issued by the State PCB under the Water Act, 1974 and Air Act, 1981 (Sr. No. XXI). Environmental Compensation deposited is said to be less than Rs. 4 crores against levy of Rs. 7 crores compensation. No action has been taken against those who have failed to pay the compensation. The collected amount has not been utilized for restoration measures. Carrying capacity and damage assessment has not been done on the ground that the Expert Institutions are not available and work has now been awarded on 28.01.2023 to Birsa Institute of Technology (Sr. No. XXIII). Comprehensive Environment Management Plan has not been prepared (Sr. No. XXIV). Overloading of vehicles has been found for which fine has been imposed against 167 vehicles"

1. माननीय NGT के Observation के आधार पर Original Application No. 23/2017 (EZ) में दिनांक 15.03.2023 को पारित आदेश के कण्डिका–19 के अनुसार Sr. No. XV shows that 471 vehicles were found not which no action was taken against the units but the vehicles were required to pay fine of Rs. 12.88 Lakhs.
2. जिला में चल रहे अवैध माईनिंग एवं परिवहन के रोक–थाम हेतु कठोर कार्रवाई आवश्यक है।

...देश की ...मांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही
	2	

अतः बरहेट थाना कांड संख्या 27/2023, दिनांक 15.03.2023, धारा–175/379/414 भा0द0वि0 एवं 21(ए)/21(6) खान एवं खनिज (विकास विनियम) अधिनयिम 1957 तथा 4/54 JMM Act 2004 के अन्तर्गत जप्त मिनी ट्रक संख्या JH18C-1514 को लोड बालु सहित **The Jharkhand Minerals (Prevention ofillegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017** का 11(V) के अन्तर्गत राजसात किया जाता है।

जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज एवं जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज को निदेश दिया जाता है कि थाना प्रभारी, बरहेट के उपस्थिति में मिनी ट्रक संख्या JH18C-1514 को नीलामी कर प्राप्त राशि जिला नजारत में जमा करें।

पारित आदेश की प्रति जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज/ जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज/ पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज/थाना प्रभारी, बरहेट को भेजें। पारित आदेश से विपक्षी को भी अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त
–सह–
जिला दण्डाधिकारी,
साहेबगंज।

उपायुक्त
–सह–
जिला दण्डाधिकारी,
साहेबगंज।

Digitally signed by RAMNIWAS YADAV
Date: 2023.07.15 12:09:46 +05:30
Location: 192.168.29.219